एवं मो0 जाफर हुए। मो0 जाफर की निःसंतान मृत्यु हो जाने के कारण आवेदक अकेले अपनी माता की सम्पूर्ण सम्पति के वैध उतराधिकारी हुए तथा दखल में आये।

(6) आवेदक अपने प्रतिनिधि के माध्यम से विवादित भूखण्ड की जोत आबाद करते चले आ रहे हैं। प्रतिनिधि आवेदन की फसल का हिस्सा दिया करते है।

(7) दिसम्बर, 2016 आवेदक को यह जानकारी मिली कि विपक्षीगण विवादित भूखण्ड पर अपना झुठा दावा कर रहे है। अंचल कार्यालय से जानकारी लेने पर सूचना मिली कि विपक्षीगण के द्वारा फर्जी ढंग से अपने नाम से विवादित भूखण्ड की जमाबंदी कायम करवा ली गयी है।

(8) आवेदक के द्वारा विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबंदियों को अवैध बताते हुए उन्हें रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक 27.07.1940 का केवाला एवं उसका हिन्दी अनुवाद

(2) सर्वे खतियान की प्रति

आवेदक के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि विवादित भूखण्ड की जमाबंदी उनकी माता अथवा उनके नाम से पूर्व से कायम थी। मात्र दिनांक 27.07.1940 के केवाला के आधार पर विवादित भूखण्ड पर दावा किया जा रहा है, जबकि उक्त केवाला में विवादित भूखण्ड का खाता, खेसरा अंकित नहीं है।

सम्यक विचारोपरान्त साक्ष्य के अभाव में आवेदक का आवेदन अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

(2)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–71 / ~~2015–16~~ 2017-18

मो0 युसुफ बनाम शिव कुमार सिंह वगैरह

Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
28/2/18	**आदेश** आवेदक श्री मो0 युसुफ के द्वारा शिव कुमार सिंह एवं अन्य 15 व्यक्तियों के नाम से फतुहॉ अंचल अंतर्गत मौजा–जेठुली, खाता सं0 290 एवं 288 में कायम जमाबंदियों को रद्द करने हेतु दिनांक 07.10.2017 को इस न्यायालय में याचिका दायर की गई। याचिका दायर किये जाने के पश्चात प्रविष्टी के बिन्दु पर सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि यथा 18.10.2017, 11.11.17, 05.12.17, 20.12.17 एवं 13.01.18 में से किसी दिन भी आवेदक या उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 13.01.2018 को आवेदक को अंतिम मौका दिये जाने के बाद भी अगली तिथि 06.02.2018 को आवेदक अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। आवेदक की तरफ से आज से भी कोई उपस्थित नहीं है। **आवेदक के आवेदन का अवलोकन किया। आवेदन के अनुसार :–** (1) मौजा जेठुली, खाता नं0 290, खेसरा नं0 586, रकवा 64डी0, खाता नं0 288, खेसरा नं0 730, 745, 748 रकवा क्रमशः 31डी0, 21डी0 एवं 18डी0 सहित अन्य भूखण्ड की खरीद आवेदक की माता मोस्मात मदारन, पति हकीम मो0 नजीर हुसैन के द्वारा दिनांक 27.07.1940 के निबंधित केवाला से वास्तविक एवं मूल मालिक रामचन्द्र मिस्त्री एवं अन्य से की गयी थी। (2) आवेदक की माता के विक्रेता के द्वारा विवादित भूखण्ड दिनांक 04.11.1931 के निबंधित केवाला से सैयद जैनुल आवदीन से क्रय की गयी थी। (3) क्रय के पश्चात से ही आवेदक की माता विवादित भूखण्ड पर दखल में आयी तथा अपने जीवन काल तक अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जोत आबाद करती रही। (4) आवेदक की माता भूतपूर्व जमीन्दार की रैयत थी। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा आवेदक की माता के नाम से रिटर्न दाखिल किया गया। (5) आवेदक की माता मो0 मदारन को दो पुत्र मो0 युसुफ (आवेदक)	